बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना।

पत्रांक 176830 पटना, दिनांक 10/2/2014

ग्रा.वि.-9(~~ग्र~~)~~बी0आर0डी0एस0-~~
(ग) EPF 84/2010

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उपविकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय - मनरेगा कर्मियों का EPF कटौती एवं खाता खोले जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय पत्रांक 168252 दिनांक 04.11.2013 द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक तथा पंचायत तकनीकी सहायक के मामलों में जिनका मूल वेतन क्रमश: 5000/- तथा 5500/- प्रतिमाह वर्तमान है से **EPF** खाता में जमा करने हेतु निर्धारित राशि की कटौती की जा रही है ।

विभागीय पत्रांक 173317 दिनांक 06.01.2014 का स्मरण किया जाय । उक्त पत्र द्वारा EPF कटौती के संबंध में विषय वस्तु को उल्लेख करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में आपसे अनुरोध किया गया था । समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि जिलों में इस संबंध में प्रगित नगण्य है । विभाग से दूरभाष पर अनुश्रवण के क्रम में जिलों द्वारा मनरेगा कर्मियों को EPF कटौती की गई राशि को जमा करने का आश्वासन दिया जा रहा है परंतु ठोस प्रगति किसी जिले में नहीं हुई है ।

अत: पुन: अनुरोध है कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अपने-अपने जिले में मनरेगा कर्मियों से EPF मद में की गई कटौती की राशि कर्मियों के EPF खाते में जमा कराने की कृपा की जाए तथा कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाय ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

5/2/14

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव ।